<u>उत्तर प्रदेश शासन</u>

<u>पर्यटन अनुभाग</u>

<u>संख्या-253/2021/793/41-2021-46(बजट)/2021</u>

लखनऊ दिनांक 22 मार्च, 2021

<u>संख्या-122/2021/391/41-2021-46(बजट)/2021 दिनांक 12 फरवरी, 2021</u>

<u>का शुद्धि पत्र</u>

मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अन्तर्गत जनपद रामपुर के कतिपय पर्यटन स्थलों के विकास हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-122/2021/391/41-2021-46(बजट)/2021 दिनांक 12 फरवरी, 2021 के पृष्ठांकन के क्रम सं0-4 में संबंधित कोषाधिकारी के स्थान पर मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ अंकित किये जाने हेतु शुद्धि पत्र निर्गत किये जाने की अपेक्षा महानिदेशक पर्यटन के पत्रांक-6369/मु0पं0सं0यो0(70)/2020 दिनांक 17-02-2021 द्वारा की गई है।

2. अत: शासनादेश संख्या-122/2021/391/41-2021-46(बजट)/2021 दिनांक 12 फरवरी, 2021 के पृष्ठांकन के **क्रम सं0-4** पर अंकित **संबंधित कोषाधिकारी** के स्थान पर एतद्द्वारा **मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ** अंकित किया जाता है। तदनुसार उक्त शासनादेश संख्या-122/2021/391/41-2021-46(बजट)/2021 दिनांक 12 फरवरी, 2021 उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है। शासनादेश में अंकित अन्य शर्ते एवं उपबन्ध यथावत रहेंगे।

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

<u>संख्या-253/2021/793/41-2021-46(बजट)/2021 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- महानिदेशक पर्यटन उ0प्र0 , लखनऊ को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि कृपया शासन को प्रेषित किये जाने वाले स्वीकृति के समस्त प्रस्तावों में कोषाधिकारी का विवरण अवश्य उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4- **मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ** ।
5- जिलाधिकारी रामपुर।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, लखनऊ।
8- परियोजना प्रबंधक, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, मुरादाबाद।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 ,उ0प्र0 शासन।
10- **क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी बरेली /मुरादाबाद मण्डल को इस निर्देश सहित प्रेषित कि भविष्य में प्रस्ताव प्रेषित करते समय कोषाधिकारी का विवरण अंकित किया जाना सुनिश्चित करें।**
11- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग ।
12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.nic.in